

8

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद आगरा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा आगरा-बाह-कचौराघाट (SH-62) के किमी0 44.700 चैनेज से 91.700 तक के मध्य मार्ग की दांयी पटरी पर ग्राम अरनौटा से ग्राम कचौराघाट तक ग्राम पंचायतों को भारत सरकार की भारतनेट परियोजना के अन्तर्गत संयोजन हेतु आप्टीकल फाईबर डालने हेतु प्रभावित 1.395 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No. - 35215/2018

14.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा दी गई सूचना से सहमत हैं।	सहमत
16.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत प्रकरणों के साथ विशेष सिफारिशें -	प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक : 20-04-2023

स्थान : आगरा


(राकेश चन्द्र)
वन संरक्षक
आगरा वृत्त, आगरा।
